रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940
No. 336] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 478(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः –

1. (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 (इन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, नामतः –

   "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल – पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में, –

   (क) स्तंभ (4) में शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, नामतः –

" वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(4)
लेवल – 8 (रू. 47600–151100/–)" ;

   (ख) स्तंभ (11) में , –

(1) उप शीर्षक " प्रोन्नति " के अंतर्गत, " वेतनबैंड –2, 9300–34800 रू0 के वेतनमान में 4600 रू. के ग्रेड वेतन सहित "भाब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर" लेवल–7 (रू. 44900–142400/–)" शब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।

(2) उप शीर्षक "प्रतिनियुक्ति" के अंतर्गत, मद (ii) में, "9300–34800 रू0 के वेतनमान में वेतन बैंड–2, जमा 4600 रू. ग्रेड वेतन "शब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर "लेवल–7 (रू. 44900–142400/–)" शब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।

[फा. सं. 1–12014/43/2017–एनसीबी–II]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 22 अगस्त, 2012 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 645 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 22, 2012/श्रावण 31, 1934
No. 419] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 22, 2012/SHRAVANA 31, 1934

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 645(अ).—केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में ज्येष्ठ निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, ज्येष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं, आदि.**—पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ निजी सचिव	01* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड -2, रू. 9,300-34800/- (ग्रेड वेतन रू. 4600/-)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शिक्षा प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)

प्रोन्नति :

वेतन बैंड -2 में 9,300-34800/- रू. और ग्रेड वेतन 4600/- रू. के वेतनमान में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का ऐसा निजी सचिव जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः-

(i) जिन्होंने मूल विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;

या

(ii) जिन्होंने मूल विभाग में वेतन बैंड -2, में 9,300-34800/- रू. जमा ग्रेड वेतन 4600/- रू. के वेतनमान में निजी सचिव की श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है ।

टिप्पण :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आयु सीमा आवेदनों के प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी 1. उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (मुख्यालय) - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य 3. उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. I. 12020/62/2010–एन.सी.बी.]

एम. गोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव